न्यायालय तहसीलदार शहपुरा (भिटौनी) जिला जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक/ 22 /प्रवा.तह./2021 शहपुरा, दिनांक - 22/01/2021

प्रति,

श्रीमान जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एन.आई.सी. जबलपुर

विषय :- **राजस्व विभाग एवं कलेक्टर महोदय की अधिकृत वैबसाईट पर उद्घोषणा का प्रकाशन किये जाने के संबंध में।**

संदर्भ :- **अपर कलेक्टर (ग्रामीण) महोदय जबलपुर के प्रकरण अंतर्गत आदेश पत्रिका दिनांक 22/12/2020 में दिये गये निर्देश के परिपालन में।**

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित लेख है कि, आवेदक मेसर्स रियल एनर्जी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नागपुर द्वारा जिला जबलपुर में 12 मेगावाट क्षमता की बायोमास आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु गैर वन पड़त भूमि मांग से संबंधित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महोदय शहपुरा से अपर कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 22/12/2020 में दिये गये निर्देशों की पूर्ति किये जाने के निर्देश सहित प्रकरण प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश पत्रिका दिनांक 22/12/2020 में अपर कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक को भूमि आवंटन किये जाने हेतु म.प्र. नजूल भूमि निर्वतन निर्देश, 2020 की कंडिका 43(2)(घ) के तहत अध्याय 2 में विहित प्रक्रिया के अनुसार कंडिका 142 में विहित रीति की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त कंडिका क्रमांक 142 की उप कंडिका (3) में लेख किया गया है कि, "उद्घोषणा का प्रकाशन राजस्व विभाग तथा संबंधित जिले के कलेक्टर की अधिकृत वैबसाईटों पर भी किया जाएगा"

उक्त उद्घोषणा/आम-इश्तहार के प्रकाशन से संबंधित आम-इश्तहार की प्रति, संदर्भित आदेश पत्रिका एवं अन्य दस्तावेज पत्र में संलग्न किये जा रहे हैं।

अतः संदर्भित आदेश पत्रिका में दिये गये निर्देश के परिपालन में राजस्व विभाग एवं कलेक्टर महोदय जबलपुर की अधिकृत वैबसाईट में आवेदक द्वारा किये गये भूमि मांग से संबंधित आवेदन के संबंध में उद्घोषणा/आम-इश्तहार का प्रकाशन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

न्या. तहसीलदार शहपुरा-भिटौनी जिला जबलपुर

तहसीलदार
शहपुरा (भिटौनी) जबलपुर

राजस्व आदेश–पत्र
(रेव्हेन्यू आर्डर शीट)

आदेश क्रमांक कार्यवाही का दिनांक और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो, पर्ची अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों के पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख
1	2	3
22.12.2020	=प्रकरण पेश । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) शहपुरा से प्राप्त । =प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र दिनांक- 29/12/2018 के माध्यम से आवेदक मेसर्स, रियल एनर्जी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नागपुर द्वारा जिला जबलपुर में 12 मेगावाट क्षमता की बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र परियोजना स्थापित करने हेतु भूमि मांग संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक- 29 जनवरी 2018 उपलब्ध कराते हुए विकासक द्वारा स्वचिहिन्त खसरा में से 500 एकड़ राजस्व भूमि म0प्र0 में बायोमास आधारित विद्युत (पॉवर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति-2011 एवं म0प्र0 में बायोमास आधारित विद्युत (पॉवर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति-2011 संशोधन दिनांक-21/02/2016 एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक- एफ 16-14/2013/सात/2ए दिनांक- 04/03/2014 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को आवंटित करने का लेख किया गया है, तदसंदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन सहित प्रकरण इस न्यायालय को दिनांक-21/12/2020 को उपलब्ध कराया गया । = मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र अंतर्गत नियम/ निर्देशोंको अधिक्रमित करते हुए उनके स्थान पर मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 राजपत्र दिनांक- 24/09/2020 में लागू किए गए है । = अतएव म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका-43(2)(घ) के तहत अध्याय 2 में विहित प्रक्रिया के अनुसार कंडिका-142 में विहित रीति की कार्यवाही हेतु प्रकरण मूलत: अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा की प्रेषित किया जावे। अपर कलेक्टर जबलपुर अ.वि.अ. (राजस्व) शहपुरा	

आम इश्तहार

आम जनता ग्राम हिनौतिया,कुलोन छपरट, गुबराकलां,मगरमुहां,नीमखेड़ा, भमका एवं छपरहट प.ह.नं,क्रमश 05, 54,08,52,43,54,54 रा.नि.मं पिपरियाकला,शहपुरा तहसील जिला जबलपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक मेसर्स रियल एनर्जी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. नागपुर द्वारा 12 मेगावाट क्षमता की बायोमास आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु निम्न सूची में वर्णित भूमि की मांग की गयी है।

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकवा नं	प.ह.नं.	रा.नि.मं.
1	हिनौतिया	148	46.44	05	पिपारियाकलां
2	कुलोन छपरट	85/1	23.98	54	शहपुरा
3	गुबराकलां	269	19.48	08	पिपारियाकलां
4	गुबराकलां	25	18.74	08	पिपारियाकलां
5	कुलोन छपरट	47/1	15.24	54	शहपुरा
6	मगरमुहां	968	14.70	52	शहपुरा
7	गुबराकलां	99	13.92	08	पिपारियाकलां
8	नीमखेड़ा	265	13.85	43	पिपारियाकलां
9	भमका	172	12.73	54	शहपुरा
10	छपरट	544	12.71	54	शहपुरा
11	छपरट	162	8.57	54	शहपुरा
12	हिनौतिया	105	8.18	05	पिपारियाकलां
13	कुलोन छपरट	270/1	7.24	54	शहपुरा
14	नीमखेड़ा	238	5.61	43	पिपारियाकलां
15	छपरट	494	4.71	54	शहपुरा

अत: आवेदक मसर्स रियल एनर्जी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. नागपुर को उपरोक्त सूची में वर्णित भूमि की अनुमति दिये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह नियत दिनांक 31/08/2019 को न्यायालय में स्वयं या अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से अपनी दावा आपत्ति पेश कर सकता है। नियम दिनांक के उपरान्त किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

अत: दिनांक 13/08/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी। (पेशी दिनांक 31.8.2019)

तहसीलदार शहपुरा भिटौनी

Scanned with CamScanner

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर 2020—आश्विन 2, शक 1942

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2020

नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वर्तन से संबंधित वर्तमान में प्रभावशील परिपत्र तथा उनमें समय-समय पर किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन, जिनका विवरण इस अधिसूचना द्वारा जारी किये जा रहे निर्देशों की कण्डिका 148 में दिया गया है, को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार 'राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार क्रमांक 1 — मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020' जारी करती है अर्थात्-

अनुक्रमणिका

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020
प्रथम संस्करण, वर्ष 2020

कण्डिका	शीर्षक
	अध्याय — एक सामान्य
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना
2.	इन निर्देशों में संशोधन की प्रकिया

3.	परिभाषाएं
4.	नजूल भूमि के अभिलेखों का निर्माण तथा संधारण
5.	लोक प्रयोजन के लिये भूमि का पृथक् रखा जाना
6.	लैण्ड बैंक
7.	संहिता का लागू होना
8.	नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए जिला, संभाग तथा राज्य स्तर पर समितियाँ
9.	अपर आयुक्त तथा अपर कलेक्टर को शक्तियों का प्रत्यायोजन
10.	नजूल भूमि का निर्वर्तन के तरीके
	अध्याय – दो **राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण**
11.	सक्षम प्राधिकारी
12.	भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन
13.	जांच प्रतिवेदन
14.	भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति
15.	सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन
16.	विभाग को भूमि का हस्तांतरण
17.	हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण
18.	राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापस लिया जाना
	अध्याय – तीन **स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का निर्वर्तन** **भाग – क** **स्थायी पट्टे पर निर्वर्तन – सामान्य**
19.	प्रयोजन, सक्षम प्राधिकारी, प्रब्याजि, वार्षिक भू–भाटक तथा आंवटन की प्रकिया
	भाग – ख **स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की सामान्य प्रकिया**
20.	इस भाग के उपबंधों का लागू होना
21.	भूमि आवंटन के लिए आवेदन
22.	जांच प्रतिवेदन
23.	स्थायी पट्टे की स्वीकृति
24.	प्रब्याजि तथा भू–भाटक
25.	पट्टे का निष्पादन

अध्याय – दो
राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण

11. सक्षम प्राधिकारी– राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि हस्तांतरित करने के लिए या किसी विभाग को हस्तांतरित भूमि राजस्व विभाग को वापस करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति", संभाग मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगा।

12. भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन– संबंधित विभाग के द्वारा लैण्ड बैंक में से भूमि का चयन किया जाएगा। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा कलेक्टर को **प्ररूप एक** में आवेदन किया जाएगा। किसी विभाग का विभागाध्यक्ष न होने की स्थिति में विभाग के सचिव द्वारा आवेदन किया जाएगा।

13. जांच प्रतिवेदन– (1) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन पत्र अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में **कंडिका 142** में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे और यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित हस्तांतरण में कोई आपत्ति नहीं है।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा–

(क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नही? ;

अध्याय – नौ
प्रकीर्ण

142. सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करने की रीति– (1) इन निर्देशों के अंतर्गत नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिये सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन आयुक्त, कलेक्टर, तहसील तथा स्थानीय निकाय के कार्यालयीन सूचना पटलों पर कराया जाएगा।

(2) उद्घोषणा की एक प्रति उद्घोषणा में संदर्भित भूमि पर या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रकाशित की जाएगी।

(3) उद्घोषणा का प्रकाशन राजस्व विभाग तथा संबंधित जिले के कलेक्टर की अधिकृत वेबसाइटों पर भी किया जाएगा।

(4) जहां इन निर्देशों में विशिष्ट रूप से ऐसा विहित किया जाए उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्रों में ऐसे निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

143. नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र– (1) भूमिस्वामी हक में धारित अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में धारित भूखंडों पर निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी से तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखंड पर निर्माण न हो जाये जो वस्तुतः धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखलरहित या नजूल भूमि हो।

(2) नजूल अधिकारी के द्वारा समस्त नजूल भूमि के विवरण संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे उपकंडिका (1) में उल्लेखित अनुमतियां जारी करने के पूर्व आवश्यक संतुष्टि कर लें। नजूल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे विवरणों में हुए परिवर्तनों को स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी के ध्यान में लाए तथा प्रतिवर्ष जनवरी माह में नजूल भूमि के अद्यतन विवरण उन्हें भिजवाए।